न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 74/2019 निर्णय दिनांक: 12.7.2022

ऑनलाईन नंबर 2019/00146

रामूराम पुत्र ईशरराम जाति जाट निवासी जैतासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

—प्रार्थी—

बनाम

1. हंसराज 2. दुर्गाराम पुत्रगण तुलछाराम जाति जाट निवासीगण जैतासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
3. भगवानी पत्नी हंसराज जाति जाट निवासीगण जैतासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

—अप्रार्थीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री ललित कुमार मारू अभिभाषक प्रार्थी।
2. श्री ओमप्रकाश पंवार अभिभाषक अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी का खातेदारी का खेत खसरा नंबर 79 तादादी 4.25 हैक्टेयर (0.05 हैक्टेयर गैर मुमकिन) रोही जैतासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर में स्थित है। उपरोक्त कृषि भूमि प्रार्थी ने आज से करीब 40 वर्ष पूर्व खरीद की थी, तब से प्रार्थी का लगातार शांतिपूर्वक उपरोक्त खसरा भूमि पर कब्जा, काश्त , उपयोग—उपभोग चला आ रहा है। प्रार्थी के खेत के चिपते ही उतरी तरफ अप्रार्थी संख्या 3 का खातेदारी का खेत खसरा नंबर 78 स्थित है। अप्रार्थी संख्या 3 के उक्त खेत का प्रवेश का रास्ता ग्राम जैतासर से चलकर धोलपालिया जोहड से फंटकर पदमाराम जाट, मेघाराम ब्राहम्मण, गिरधारीराम ब्राहम्मण के खेत में से होता हुआ किशनलाल ब्राहम्मण के खेत के सींव—सींव होता हुआ वर्षो से चला आ रहा है। इसी रास्ता से अप्रार्थीगण अपने खेत में प्रवेश करते है। अप्रार्थी संख्या 3 ने खसरा नंबर 78 भूमि को कुछ समय पहले ही खरीद की है। प्रार्थी के खातेदारी भूमि में 0.05 हैक्टेयर भूमि गैरमुमकिन दर्ज है, उक्त भूमि जैतासर से धोलिया को जाने वाली संडक के रूप में दर्ज है। उक्त सडक रास्ता के अलावा कोई रास्ता प्रार्थी के खातेदारी भूमि में से अप्रार्थीगण के खेत में जाने का नही रहा है, ना ही मौके पर ऐसा कोई रास्ता मौजूद है। अप्रार्थीगण के खेत खसरा नंबर 78 में जाने का रास्ता मौजूद है, इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण प्रार्थी के खातेदारी भूमि में से जबरन रास्ता कायम करनें पर आमादा है। वादगत भूमि प्रार्थी की कब्जा, काश्त व उपयोग—उपभोग की भूमि है, इसलिये प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में है तथा प्रार्थी के खेत में से अप्रार्थी द्वारा नया रास्ता निकालने से प्रार्थी को असुविधा होगी इसलिये सुविधा का संतुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में है। अगर अप्रार्थीगण प्रार्थी के खेत में से नया रास्ता निकालने में कामयाव हो जाते है तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित फरमया जावें कि वो प्रार्थी के खातेदारी के खेत खसरा नंबर 79 की भूमि कुल तादादी 4.25 हैक्टेयर (0.05 हैक्टेयर गैर मुमकिन) सेही जैतासर के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे तथा प्रार्थी के खेत की सींव आदि को खुर्द–बुर्द नहीं करें, ना ही कोई नया रास्ता प्रार्थी की उक्त खसरा भूमि में से निकाले या कायम करवावे, ना ही कोई ऐसा कृत्य या अपकृत्य करे, जिससे प्रार्थी के अधिकारों पर विपरीत असर पड़ता हो।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्ट्र किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण जरियें अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। बहस सुनी गई। अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस करते हुए निवेदन किया गया कि अप्रार्थी संख्या 3 के खेत खसरा नंबर 78 का विद्यमान रास्ता गांव जैतासर से चलकर गांव गुसाईसर जाने वाले कटाणी रास्ता से होकर धोलिया से श्रीडूंगरगढ जाने वाली सडक जो प्रार्थी के खते में से जाती है, सडक से प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 79 से उत्तरी तरफ करीब 450 फुट (138 मीटर) चलकर अप्रार्थी संसख्या 3 अपने खेत खसरा नंबर 78 में प्रवेश करती है। धोलिया से श्रीडूंगरगढ जाने वाल सडक प्रार्थी के खेत के उतरी सींव के पास रास्ता से अप्रार्थी संख्या 3 अपने खेत में प्रवेश करती हे और अप्रार्थी संख्या 3 के खेत में जाने के लिए सदामद से जैतासर से गुंसाईसर जाने वाल कटाणी रास्ता जो अब यह कटाणी रास्ता प्रार्थी के खेत से धोलिया से श्रीडूंगरगढ सडक है, जो प्रार्थी के खेत से होकर उसकी पत्नी के खेत में होकर गुसाईसर जानो वाला कटाणी रास्ता अलग हो जाता है। सडक से अप्रार्थी के खेत में जाने के लिय यह रास्ता 138 मीटर लगता है। यह रास्ता शुरू से ही चला आ रहा है और अप्रार्थी से पूर्व खोतदार अप्रार्थी संख्या 2 भी इसी रास्ता से अपने खेत में प्रवेश करता था, उसके पूर्व के खातेदार भी इसी रास्ता से खेत खसरा नंबर 78 में प्रवेश करतें थे, यही एक मात्र रास्ता है, जिससे अप्रार्थी अपने खेत में आवगामन करतें है। इस रास्ता के अलावा अप्रार्थी संख्या 3 के खेत में आवागमन हेतु कोई रास्ता नहीं है। इस रास्ता को प्रार्थी बन्द करता रहता है, आने–जाने से रोकता है। प्रार्थी ने सितम्बर में इस रास्ता को बन्द किया जो अप्रार्थी संख्या 3 ने अदालतवाला में इस वादगत रास्ता का दिनांक 13.09.2019 को एक प्रार्थना पत्र धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत अनुवानी भगवानी वनाम रामूराम आदि पेश किया है, जिसके नोटिस जारी किये दिनांक 04.10.2019 को तलवी हेतु तारीख दी, जिसके नोटिस की सूचना प्रार्थी को थी, परन्तु हाजिर होने से पहले गलत रूप से यह वादगत दावा दिनांक 01.10.2019 को पेश किया, जो गलत है। प्रार्थी के खेत में पूर्व से रास्ता चला आ रहा है, उसको गलत रूप से बन्द कर दिया और फिर यह दावा पेश किया जो चल नही सकता है। अप्रार्थी ने इस दावा से पूर्व ही प्रार्थना पत्र पेश किया है, जिसमें दस्तावेज व फोटो आदि पेश है, जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी ने यह गलत रूप से अप्रार्थी को रास्ता सें वंचित करने के लिये यह दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया है, प्रार्थी का दावा खारिज किये जाने योग्य है।

वकील प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के अधिवक्ता के कथन का खंडन करतें हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के खेत के चिपते ही उतरी तरफ अप्रार्थी संख्या 3 का खातेदारी का खेत खसरा नंबर 78 स्थित है। अप्रार्थी संख्या 3 के उक्त खेत का प्रवेश का रास्ता ग्राम जैतासर से चलकर धोलपालिया जोहड से फंटकर पदमाराम जाट, मेघाराम

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़

ब्राहम्मण, गिरधारीराम ब्राहम्मण के खेत में से होता हुआ किशनलाल ब्राहम्मण के खेत के सींव–सींव होता हुआ वर्षो से चला आ रहा है। इसी रास्ता से अप्रार्थीगण अपने खेत में प्रवेश करते है। अप्रार्थी संख्या 3 ने खसरा नंबर 78 भूमि को कुछ समय पहले ही खरीद की है। प्रार्थी के खातेदारी भूमि में 0.05 हैक्टेयर भूमि गैरमुमकिन दर्ज है, उक्त भूमि जैतासर से धोलिया को जाने वाली संडक के रूप में दर्ज है। उक्त सडक रास्ता के अलावा कोई रास्ता प्राथीर्ी के खातेदारी भूमि में से अप्रार्थीगण के खेत में जाने का नही रहा है, ना ही मौके पर ऐसा कोई रास्ता मौजूद है। अप्रार्थीगण के खेत खसरा नंबर 78 में जाने का रास्ता मौजूद है, इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण प्रार्थी के खातेदारी भूमि में से जबरन रास्ता कायम करनें पर आमादा है। अप्रार्थी संख्या द्वारा 3 द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत अनुवानी भगवानी बनाम रामूराम आदि पेश किया गया था, जिसकों माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 05.07.2022 के द्वारा खारिज किया जा चुका है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 79 में जो कटाणी रास्ता वह उस खेत के पश्चिम की तरफ सडक स्थित है। प्रार्थी के खेत में से कोई रास्ता अप्रार्थी संख्या 3 के खेत को नही जाता है। अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अप्रार्थीगण यह साबित नहीं कर सके की खसरा नंबर 78 का रास्ता खसरा नंबर 79 में से ही है। खसरा नंबर 78 के आवागमन का रास्ता इस खेत के पूर्वी तरफ से चले आ रहे कटाणी मार्ग से कुछ ही दूरी पर स्थित है। प्रार्थी के खेत में से अप्रार्थीगण नया रास्ता कायम करना चाहतें है इस आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित है। अप्रार्थीगण के खेत में आवगामन का रास्ता कटाणी मार्ग से फंटकर पश्चिमी तरफ होने से अप्रार्थीगण के खेत में आवगमन संभव है इस आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित है। साथ ही प्रार्थी के खेत में से कोई रास्ता खसरा नंबर 79 का आवगामन हेतु नही होने से यदि रास्ता प्रार्थी के खेत में से कायम किया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्रणीय क्षति होगी। इस आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त ये तीनों ही बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रार्थी का स्वीकार कर आदेशित किया जाता है कि तादावा फैसला अप्रार्थीगण प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 79 तादादी 4.25 हैक्टेयर ग्राम जैतासर में उसके कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें तथा प्रार्थी के खेत में से कोई रास्ता कायम नहीं करें व मौके की यथास्थिति बनायें

आदेश आज दिनांक 12.7.22 को मेरे द्वारा सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)